

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 277 / एक-10-1/2013

अनूपपुर, दिनांक 01.02.2024

प्रतिलिपि यथा आदेश :-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर,
की ओर रिमाण्ड ड्यूटी आदेश क्रमांक 18/न्याया./स्टेनो/2024
अनूपपुर, दिनांक 01.02.2024 को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र
न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया है, जिसकी मूल प्रति
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अनूपपुर, जिला अनूपपुर म.प्र.

न्यायालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

क्रमांक 1.8/न्याया./स्टेनो/2024

अनूपपुर, दिनांक 01.02.2024

-: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश :-

अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.) में न्यायिक प्रशासनिक कार्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए **माह-फरवरी एवं मार्च, 2024** के सार्वजनिक अवकाश के लिए आवश्यक कार्य हेतु रिमाण्ड ड्यूटी निम्नानुसार लगाई जाती है। रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टॉफ/लिपिक के साथ समय दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक या उसके पश्चात् कार्य संपन्न होने तक न्यायालय में उपस्थित रहकर आवश्यक कार्य निष्पादित करेंगे।

मुख्यालय अनूपपुर, जिला अनूपपुर

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	फरवरी, 2024	मार्च, 2024
1.	श्री रामअवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	16, 17, 18	03, 31
2.	सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	04, 11	08, 24, 25, 26
3.	शिवानी असाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर	14, 25	10, 16, 17, 29

तहसील न्यायालय-कोतमा, जिला अनूपपुर

1.	श्री रवीन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा	14, 16	03, 08, 17
2.	सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा	11, 18	10, 16, 31
3.	सुश्री गुंजन गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा	04, 17, 25	24, 25, 26, 29

आवश्यक निर्देश :-

1. यदि माह **फरवरी, 2024** के किसी कार्य दिवस में अवकाश घोषित किया जाता है, तो **शिवानी असाठी, जे.एम.एफ.सी. अनूपपुर**, माह **मार्च, 2024** के किसी कार्य दिवस में अवकाश घोषित किया जाता है तो **सुश्री अंजली शाह, जे.एम.एफ.सी. अनूपपुर** तथा उक्त के अलावा ऐसे घोषित अवकाश वाले दिवस में भी उक्तानुसार आकस्मिक व आवश्यक कार्य देखेंगे।

2. यदि माह फरवरी, 2024 के किसी कार्य दिवस में अवकाश घोषित किया जाता है, तो सुश्री वर्षा भलावी, जे.एम.एफ.सी. कोतमा तथा माह मार्च, 2024 के किसी कार्य दिवस में अवकाश घोषित किया जाता है तो सुश्री गुंजन गौड़, जे.एम.एफ.सी. कोतमा तथा उक्त के अलावा ऐसे घोषित अवकाश वाले दिवस में भी उक्तानुसार आकस्मिक व आवश्यक कार्य देखेंगे।

3. तहसील न्यायालय राजेन्द्रग्राम में फरवरी एवं मार्च, 2024 के अवकाश वाले दिवस में न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजेन्द्रग्राम रिमाण्ड कार्यवाही पूर्ण करेंगे, यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजेन्द्रग्राम अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में अवकाश अवधि में उक्त न्यायालय के समस्त रिमाण्ड से संबंधित कार्यवाही जिला मुख्यालय अनूपपुर न्यायालय में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य संपादित करेंगे।

4. यदि अति आवश्यक कार्य/आकस्मिक कार्य से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्यालय से बाहर जाना आवश्यक है, तो वह किसी भी अपने साथी मजिस्ट्रेट से लिखित में सहमति प्राप्त कर सी.जे.एम. को सूचना देते हुए अवकाश स्वीकृत होने/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति पश्चात् ही, मुझे सूचना देते हुए मुख्यालय से बाहर जावें।

आज दिनांक 01.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अनूपपुर के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभावशील।

"अनुमोदन"
01/02/2024
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अनूपपुर (म.प्र.)

कृते-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)


पृ.क...../न्याया./स्टेनो/2024

अनूपपुर, दिनांक-01.02.2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर म.प्र. की ओर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु सादर प्रेषित।
02. श्री रामअवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर म.प्र.।
03. सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर म.प्र.।
04. शिवानी असाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर म.प्र.।
05. किशोर न्याय बोर्ड, अनूपपुर म.प्र.।
06. श्री राहुल छत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजेन्द्रग्राम।
07. श्री रवीन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा।
08. सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा।
09. सुश्री गुंजन गौड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा।

10. पुलिस अधीक्षक, जिला अनूपपुर म.प्र.।
11. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, अनूपपुर म.प्र.।
12. जिला नाजिर, जिला न्यायालय अनूपपुर म.प्र.।
13. सिस्टम एनॉलिस्ट, जिला न्यायालय, अनूपपुर की ओर ई-मेल के माध्यम से प्रसारित किए जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. रीडर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


01/02/2024
कृते-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)